



// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में प्राविधानित/विहित व्यवस्था के क्रम में डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ को विश्वविद्यालय के पत्रांक 1036/फा0सं0-499/वि0नामित/स्था0/2022-23, दिनांक 15 जुलाई, 2022 के माध्यम से विशेष शिक्षा संकाय के अधीन संचालित दृष्टिबाधितार्थ विभाग के कुशल संचालन हेतु अग्रिम आदेशों तक के लिए विभागाध्यक्ष नामित किया गया था, जिसके क्रम में डॉ0 शर्मा द्वारा विभागाध्यक्ष के पद पर दिनांक 19 सितम्बर, 2022 तक कार्य सम्पादित किया गया है।

तत्क्रम में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 से 17 मई, 2023 तक सबैटिकल लीव पर होने के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा नियमानुसार अधिकतम तीन वर्ष के अनुसार शेष समय के लिए डॉ0 विजय शंकर शर्मा को विभागाध्यक्ष नामित किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में दृष्टिबाधितार्थ विभाग का विभागाध्यक्ष नामित किया जाता है।

डॉ0 विजय शंकर शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गयी संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। इनका कार्यकाल इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष के अनुसार शेष समय अर्थात् दिनांक 14 जुलाई, 2025 तक प्रभावी होगा। इस दायित्व के लिए आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग।
6. सम्बन्धित विभाग शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
7. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
9. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव